

फर्द अहकाम

वनाम

आज्ञा या गद्दी	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.B.22	<p>पत्रावली पेश हुये P.O. साहब/कार्य                      डा. कोलेस. <del>...</del> जनरल                      दिनांक दी गई अनुसार पत्रावली                      दिनांक <u>29-11-22</u> को पेश हो।</p>	
11/122	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षानाम वकील उपो है।                      प्रतिवादीगण की तलवी जारी होकर होकर पत्रावली                      दिनांक 11/123 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                      उपखण्ड अधिवक्ता                      उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
11/123	<p>पत्रावली आज वकील वादी के विज्ञो प्रा. पर                      पर क्लब की गई। वकील वादी व स्वयं                      वादी उप. है। वकील वादी ने प्रा. पर पेश                      किया कि पक्षकारण के मध्य लोक अदालत                      की भावना ले रखीनाम हो गया है। कि                      कारण से वादी दवा को आगे नहीं                      चलाना चाहता है। व दवा लोक अदालत                      की भावना ले विज्ञो करना चाहते हैं। अतः                      दवा वादी स्वयं वादी व वकील वादी के                      विज्ञो प्रा. पर पेश होने पर प्रा. पर की                      स्वीकार किया जाकर दवा विज्ञो (आरिफ)                      किया जाता है। पत्रावली वाद व वकील                      वादी दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i>                      उपखण्ड अधिवक्ता                      उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>